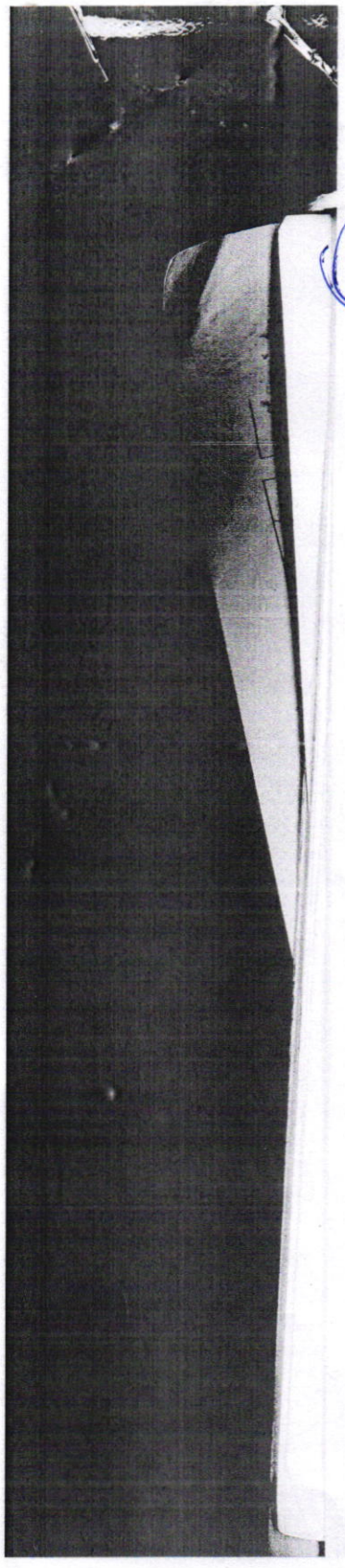

(20रु. Rs.20)
बीस रुपये TWENTY RUPEES

(1)

85

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–टीकमगढ़
निगरानी – 5281/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

1 रामदीन पुत्र श्री मौनलाल कुशवाह
2 हज्जू पुत्र श्री मौनलाल कुशवाह
3 कम्मौद पुत्र श्री मौनलाल कुशवाह
निवासीगण – ग्राम आस्तौन खास
तहसील व जिला टीकमगढ (म.प्र.)
.... आवेदकगण

विरूद्ध

गनपत पुत्र श्री गौरेलाल कुशवाह
निवासी – ग्राम आस्तौन खास
तहसील व जिला टीकमगढ (म.प्र.)
.......अनावेदक

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल सगर्रा तहसील व जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 160/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक गनपत पुत्र गौरेलाल कुशवाह निवासी आस्तौन में स्थित भूमि चक 1 खसरा नं. 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395 एवं 421/मिन–2 कुल किता 11 कुल रकवा 3.438 है0 के सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक मण्डल सगर्रा तहसील व जिला टीकमगढ को प्रस्तुत किया गया था।
2. यहकि, अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल सगर्रा द्वारा प्रकरण क्रमांक 160/अ–12/2017–18 पर पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी।
3. यहकि, अनावेदक की ओर से प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पत्र पर आवेदक की ओर से एक लिखित आपत्ति दिनांक 01.06.2018 को ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-5281/2018/टीकमगढ़/भू.रा. रामदीन विरूद्ध गनपत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 1. आवेदक रामदीन की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । 2. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्रा जिला टीकमगढ़ के सीमांकन आदेश दिनांक 02-07-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 26-12-2018 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 31.10.18 सदस्य	